





बुजुर्ग आबादी और बढ़ती असमानता: पंचायतों की भूमिका

विषय-सूची

7

एफपीओ में संस्थागत निर्माण और संगठन विकास पर एफपीओ हितधारकों के लिए पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम – शासन एवं प्रबंधन में श्रेष्ठ पद्धतियां

8 सुशासन पर ग्रामीण विकास पेशेवरों और एसआईआरडीपीआर सिक्किम के संकाय के लिए टीओटी कार्यक्रम 9 ग्राम अभिग्रहण के प्रकार

12

विपणन में पहल पर वेबिनार -एफपीओ के लिए निहितार्थ


13

ग्रामीण भारत में कोविड़-१९ को फैलने से रोकने के लिए जोखिम संचार पर एनआरएलएम के तहत राज्य नोडल टीमों, काम करने वाले स्रोत व्यक्ति के लिए टीओटी 14

एक अच्छे प्रशिक्षक को कौन महान बनाता है ?

15

कोविड़ - अवधि के पश्चात् जेंडर लेंस से ग्रामीण श्रम बाजार की पुनः कल्पना पर एनआईआरडीपीआर वेबिनार



आप कोविड़ -19 के सुपरस्टार हैं

बहादुर स्वच्छता कर्मचारियों को धन्यवाद

हमारे कूड़े को इकट्ठा करके और उन्हें पुनः प्रयोज्य में बदल कर हमारे समुदायों, शहरों को साफ़ सुथरा रखने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके आभारी हैं।

आपने अपनी निस्वार्थ सेवा से हमें कोविड़ -19 में सुरक्षित रहने में मदद की। आप कोविड़ -19 के सुपरस्टार हैं





बुजुर्ग आबादी और बढ़ती असमानता: पंचायतों की भूमिका

62 वर्ष की आयु की सुश्री पोनाम्मल, कृषि क्षेत्र में अपने जीवन यापन के लिए श्रमिक का काम करती हैं। हाल ही में, एक दुर्घटना में उसने अपने पित को खो दिया और वह अपने दाहिने पैर में एक बड़े फ्रैक्चर के साथ जीवन यापन कर रही है। बिना किसी की सहायता और काम करने में असमर्थ होने के कारण वह मुश्किल से अपना गुजारा कर सकती है। जब उसे विधवा के लिए मासिक पेंशन का पता चला, तो वह अधिक जानकारी पाने हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय जाने के लिए तीन किलोमीटर पैदल चलने में कामयाब रही। यह न केवल सुश्री

पोनाम्मल की दुर्दशा है, बल्कि ग्रामीण भारत में रहने वाले तीन अन्य वृद्ध लोगों की भी दुर्दशा है। बढ़ती उम्र को एक प्राकृतिक प्रक्रिया माना जाता है और जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से, यह एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। बढ़ती दीर्घायु और प्रजनन दर में गिरावट दुनिया भर में एक समान है जो सामान्य आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ती उम्र की आबादी को आगे बढ़ाती है। अक्सर उनकी आर्थिक निर्भरता और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखभाल के प्रति लागत की गणना की जाती है और एक

दायित्व के रूप में माना जाता है। जनसंख्या लाभांश के इस भाग का ज्ञान अप्रयुक्त छोड़ दिया जाता है और इसलिए, वे समाज में असमान दर्जा हासिल करते हैं। यह कार्य विवरण भारत के बुजुर्ग आबादी द्वारा अनुभव की गई असमानता और स्थानीय जमीनी स्तर पर शासन उन समस्याओं को कैसे हल कर सकता है पर केंद्रित है।

भारत की बुजुर्ग आबादी

दुनिया भर में 60 से अधिक उम्र की आबादी सात अरब की कुल आबादी का लगभग 11.5 प्रतिशत माना जाता है। 2050 तक, यह अनुपात लगभग 22 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है बुजुर्ग लोग बच्चों (15 साल से कम उम्र) की संख्या से अधिक होंगे। बच्चे और कामकाजी आयु वर्ग धीरे-धीरे कम हो जायेंगे, जबिक बुजुर्ग सबसे तेजी से बढ़ता आयु वर्ग बन जाएगा। यही स्थिति भारत में भी है और 2030 तक बुजुर्ग निर्भरता अनुपात 14.1 तक पहुंच जाएगा।

बुजुर्ग पुरुषों (619 प्रति 1,000) की तुलना में बुजुर्ग महिलाओं (674 प्रति 1,000) में दीर्घकालिक बीमारियाँ अधिक होती हैं इसके अलावा, कार्यात्मक क्षमता में गिरावट के कारण, बुजुर्ग लोग दैनिक जीवन की गतिविधियां करने में समर्थ नहीं होंगे (एडीएल)

बुजुर्ग आबादी की चुनौतियां

बुजुर्ग आबादी कई चुनौतियों का सामना करती है और जिन्हें संक्षेप में यहां प्रस्तुत किया गया है:

बुजुर्ग आबादी में महिलाओं की बढ़ती संख्या: भारत के सभी राज्यों में प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं में

पुरुषों की तुलना में वृद्धावस्था में अधिक जीवन प्रत्याशा होती है। 1971 में, बुजुर्गों का लिंगानुपात 1,000 पुरुषों के लिए 938 महिला था लेकिन 2011 में यह 1,033 था। इसके अलावा अनुमानों से पता चला है कि 80 वर्ष से अधिक की आबादी 2050 तक 700 प्रतिशत बढ़ जाएगी, जिसमें विधवा और बुजुर्ग महिला आश्रितों की संख्या अधिक होगी।

उन सब अत्यंत बुजुर्ग महिलाओं की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चूंकि ऐसी महिलाएं उम्र और आय की असुरक्षा के साथ, समाज में भेदभाव

> का सामना करती हैं और वे इस प्रकार कमजोर और उपेक्षित हो जाती हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग की रिपोर्ट के अनुसार "पाँच में से चार महिलाओं की या तो कोई व्यक्तिगत आय नहीं है या बहुत कम आय है; बढ़ती उम्र के साथ आय की असुरक्षा बढ़ जाती है। बुजुर्ग महिलाओं का केवल एक प्रतिशत, जो आय नहीं दर्शाती है, वास्तव में सामाजिक पेंशन प्राप्त करती है"।

बुजुर्गों का ग्रामीणीकरण:

2011 की जनगणना के अनुसार, 71 प्रतिशत बुजुर्ग ग्रामीण भारत में रहते हैं। ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गांवों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग रहते हैं। आय में कमी, स्वास्थ्य सुविधा की अपर्याप्त पहुंच और एक जगह बने रहना आदि ग्रामीण भारत में वृद्ध आबादी द्वारा अनुभव किए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।







(बाएं) नारियल पानी की बिक्री में व्यस्त एक बूढ़ी महिला और (दाएं) एक बूढ़ा आदमी जो छड़ी की मदद से टहल रहा है (फाइल फोटो)

कार्य सहभागिताः

आंकड़े बताते हैं कि वृद्ध आबादी का तकरीबन पांचवा हिस्सा अकेले या अपने जीवनसाथी के साथ रहता है। इसलिए, उन्हें सुश्री पोनम्माल की तरह अपनी आजीविका की जरूरतों का प्रबंध करना होगा। मेघालय में, लगभग 60 प्रतिशत बुजुर्ग व्यक्ति श्रम शक्ति में भाग लेते हैं, जबिक असम, केरल, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में, कार्य सहभागिता दर लगभग 25 प्रतिशत है।

बुजुर्गों की स्वास्थ्य स्थिति:

एनएसएसओ के 71 वें दौर से पता चला है कि 60-69 वर्ष की आयु वर्ग में बीमारी ३० प्रतिशत से अधिक है और 80 से अधिक समूह में बीमारी 37 प्रतिशत है। जाहिर है कि पुरुषों की तुलना में यह महिलाओं में अधिक होगी। बीमारी में अक्सर अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है लेकिन महिलाओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने की दर पुरुषों की तुलना में कम होती है जो स्वास्थ्य देखभाल में लिंग भेद को दर्शाता है।

इन मतभेदों के अलावा, स्वास्थ्य देखभाल के लिए जेब खर्च और दीर्घकालिक बीमारी के इलाज की लागत भी बुजुर्गों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में काफी अधिक है। बुजुर्ग पुरुषों (619 प्रति 1,000) की तुलना में बुजुर्ग महिलाओं (674 प्रति 1,000) में दीर्घकालिक बीमारियाँ अधिक होती हैं शहर (1,000 में से 658) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (1,000 में से 621) में भी अधिक है। इसके अलावा, कार्यात्मक क्षमताओं में गिरावट के कारण, बुजुर्ग लोग दैनिक जीवन की गतिविधियां (एडीएल) नहीं कर पाते है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी के बुनियादी कार्य जैसे कि खाना खिलाना, नहाना, कपड़े पहनना, गतिशीलता और शौचालय का उपयोग शामिल है।

उनकी देखभाल को बोझ माना जाता है और इन देखभाल सेवाओं की उपलब्धता की कमी को समाज के लिए बोझ माना जा सकता है। इस संदर्भ में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है और देखभाल करने वालों द्वारा की गई लापरवाही काफी आम बात है। हालांकि, बुजुर्गों के साथ दुरुपयोग पर डेटा या जानकारी बहुत सीमित है।

पंचायत की भूमिका

बुजुर्गों की समस्याएं बहुत सी हैं और अकेले में उन पर दया या सहानुभूति दिखाने से इसका हल नहीं किया जा सकता है। बुजुर्गों को सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है और पंचायतों को निश्चित रूप से इसमें भूमिका निभानी है। जेंडर-अनुकूल और बाल-अनुकूल पंचायतों की तरह, आयु-अनुकूल पंचायत की भी बहुत आवश्यकता है। पंचायत अपने स्थानीय निकाय को 'वृद्ध-अनुकूल पंचायत' बनाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कर सकती है।

बुजुर्ग व्यक्तियों की हकदारी:

प्रत्येक पंचायत को गाँवों में रहने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक और भावनात्मक समस्याओं सहित उनके स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए सर्वेक्षण करना पड़ता है। ग्राम पंचायत को बुजुर्गों की गरिमा को बढ़ाने के लिए सरकार और नागरिक समाज संगठनों से उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गाँव में जागरूकता का सुजन करना चाहिए।

पंचायतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्गों को समय पर सरकारी योजनाओं की सुविधा मिले जैसे वृद्धावस्था पेंशन, अंत्योदय, अन्नपूर्णा और प्रधानमंत्री आवास योजना, आदि के तहत लाभ।

स्वास्थ्य:

बुजुर्गों को 'स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार' है। दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र नियमित रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं या उनके अधिकारियों को बुजुर्गों के इलाज के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को ग्राम सभा में डॉक्टरों और सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के साथ बुजुर्गों की समस्या पर चर्चा करने और उनके लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने के तरीके खोजने की जरूरत है।


पंचायत, स्वास्थ्य कर्मियों को घर-घर जाकर मिलने के दौरान बुजुर्ग व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने के लिए अनिवार्य रूप से निर्देश दे सकती है। कुछ बीमारियों का इलाज स्थानीय

सारणी - 1: भारत में वद्ध जनसंख्या

क्र.सं	भारत में वृद्ध जनसंख्या	2019	2030				
1	65 वर्ष की उम्र या उससे अधिक की आबादी	87,149	1,28,877				
2	65 वर्ष की उम्र या उससे अधिक का प्रतिशत	6.4	8.6				
3	वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात (65+/20-64)	11.0	14.1				
4	अनुमानित वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात	11.5	13.5				
5	आर्थिक वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात	14.1	17.8				

स्रोत: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2017, यूएनएफपीए





चित्र 1 : भारत में वृद्धायु जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि दर, 1950-2100

स्वास्थ्य केंद्र में नहीं किया जा सकता है और ऐसे मामलों में, ग्राम पंचायत बुजुर्ग बीमार व्यक्तियों की एक सूची तैयार कर सकती है, जिनके पास उन्हें निकटतम अस्पताल में ले जाने और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक उनकी पहुँच की व्यवस्था करने के लिए कोई नहीं है। पंचायत बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है और इसे अपने गाँव में लागू करवा सकती है। स्वैच्छिक संगठन और ग्राम पंचायत मिलकर बुजुर्गों के लिए सर्दियों के समय कंबल और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए काम कर सकते हैं।

परिवार:

परिवार भारत में सबसे संरक्षित सामाजिक संस्था है और बुजुर्ग लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा है। यह बुजुर्गों का अधिकार है कि उनकी देखभाल परिवार द्वारा की जाए। लेकिन कुछ परिवार खुद असहाय होते हैं और चाहकर भी बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पंचायतों को अपने इलाके में वृद्धाश्रम की उपलब्धता का पता लगाना चाहिए और ऐसे परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

काम करने वाले बुजुर्ग:

बुजुर्गों के लिए, जो अभी भी काम कर सकते हैं, पंचायतों को अपनी क्षमता के अनुसार काम के अवसर देने होंगे। पंचायत को ग्राम पंचायत से पलायन से बचने के लिए बुजुर्गों को मनरेगा और काम के अधिकार जैसी उचित योजनाओं की जानकारी देनी होगी।

बुजुर्गों को समर्थन:

एक नए पंचायत भवन का निर्माण करते समय, कार्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए तािक बुजुर्गों और विकलांगों को वहाँ तक पहुँचने में किसी प्रकार की समस्या या जोखिम का सामना न करना पड़े। बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए उन्हें आसानी से सुलभ और सुरक्षित पहुँच के लिए मौजूदा इमारतों को फिर से निर्मित किया जाना चाहिए। बुजुर्ग नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार एक गंभीर अपराध है। बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं के खिलाफ जादू टोना के नाम पर क्रूरता करना कानून के तहत अपराध है। पंचायतों को ऐसे सभी मामलों का संज्ञान लेना चाहिए और ऐसा होने से रोकना चाहिए।

बुजुर्ग स्व-सहायता समूह (ईएसएचजी):

2005 में सुनामी के लिए एक आपातकालीन

प्रतिक्रिया के रूप में, बुजुर्ग स्व-सहायता समूह (ईएसएचजी) का गठन किया गया था। अब तक 6,710 ईएसएचजी अस्तित्व में होने का अनुमान है। वे बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा और उत्तराखंड राज्यों में फैले हुए हैं। बिहार और तिमलनाडु में काम करने वाले ईएसएचजी की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है।

उत्तर-पूर्वी बिहार में हर वर्ष कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आती है, जो बड़े पैमाने पर गरीब आबादी के जीवन को प्रभावित करती है, जिसमें बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं, तब जीवन निर्वाह और जोखिम शमन के लिए ईएसएचजी का सहारा लेते हैं (इंडिया एजिंग रिपोर्ट, 2017)। यद्यपि इसे समान तरीके से एसएचजी के रूप में शुरू किया गया था, एक किफायत और क्रेडिट व्यवस्था के साथ, ईएसएचजी के व्यापक उद्देश्य होंगे। पंचायत को अपने सदस्यों की क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनकी आजीविका, स्वास्थ्य समस्याओं आदि पर उनकी समस्याओं को हल करना और उन्हें समुदाय आधारित समाधान खोजने में मदद करनी चाहिए।


निर्णय लेने में भागीदारी:

पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम सभा में बुजुर्ग लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और उनकी बातों को सुना जाएगा। उन्हें ग्राम पंचायत नियोजन सुविधा टीम (जीपीपीएफटी) में स्थान मिलना चाहिए। जीपीडीपी की तैयारी में उनके ज्ञान और विवेक का उपयोग किया जाना चाहिए। नई योजनाओं को बनाने और मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी के लिए उनके सुझाव मांगे जाने चाहिए।

तालिका 2: बुजुर्गों में दीर्घकालिक रोगों के मामले (भारत, 2011–2050)

प्रमुख दीर्घकालिक रोग	प्रसार	लाख मामलों में प्रसार				
	% (2011)	2011	2015	2020	2030	2050
गठिया	29.3	30.4	34.1	40.8	55.9	96.7
उच्च रक्तचाप	21.0	21.8	24.5	29.3	40.1	69.3
मधुमेह	10.1	10.5	11.8	14.1	19.3	33.3
दमा	7.7	8.0	9.0	10.7	14.7	25.4
दिल की बीमारी	5.8	6.0	6.8	8.1	11.1	19.1
अवसाद	1.5	1.6	1.7	2.1	2.9	5.0
अल्जाइमर रोग	1.4	1.5	1.6	2.0	2.7	4.6
सेरीब्रल स्ट्रोक	1.0	1.0	1.2	1.4	1.9	3.3
पागलपन	0.9	0.9	1.0	1.3	1.7	3.0
कैंसर	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3
एक या अधिक दीर्घकालिक बीमारियाँ	64.8	67.3	75.5	90.3	123.6	213.9

स्रोत: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2017, यूएनएफपीए



Source: Computed from ORGI (2011), Census of India, 2011, Office of the Registrar General and the Census Commissioner of India, Ministry of Home Affairs, Government of India. www.censusindia.gov.in.

चित्र 2: 2011 में ग्रामीण भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत

केरल का अनुभव

कई अन्य राज्यों के समान, केरल में सामाजिक न्याय विभाग ने राज्य वृद्ध आयु नीति, 2013 के आधार पर आयु के अनुकूल पंचायत को लागू किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, भागीदारी और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। केरल में मनिकाल पंचायत ने 2014 से अपनी ग्राम पंचायत को उम्र के अनुकूल बनाने की पहल की है।

यह 60 से अधिक उम्र के लोगों के सर्वेक्षण के साथ शुरू हुआ और डेटा संग्रह आईसीडीएस कर्मचारी-वर्ग और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। बाद में, बुजुर्ग लोगों द्वारा अनुभव को जाने वाली समस्याएँ और वृद्ध लोगों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में लोगों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवेदीकरण कार्यक्रम के बाद, वयोजन परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में महिलाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व के साथ प्रत्येक वार्ड से कम से कम दो सदस्य शामिल हैं।

इस वयोजन परिषद की बैठक आंगनवाड़ी के परिसर में आयोजित की जाती है और आंगनवाड़ी शिक्षकों द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। आंगनवाड़ी में आवश्यक होने पर वृद्ध लोगों के लिए डे केयर सेंटर भी संचालित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर शासन निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है:

 वयोजन सभाओं में प्रत्येक वार्ड में वृद्ध लोगों को संगठित करना और सभाओं के माध्यम से आयु-अनुकूल ग्राम पंचायत के प्रयोजनों और उद्देश्यों का प्रचार करना।

- विभिन्न कार्यालयों / विभागों की बैठकें बुलाना
- विभिन्न विभागों में कार्यान्वयन अधिकारियों को बुलाना और उन्हें बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सुविधाएँ देना
- छात्रों, शिक्षकों और पीटीए सदस्यों को अपने घरों में आयु मित्रता का संदेश देने के लिए मंच का आयोजन करना
- आंगनवाड़ी शिक्षकों के माध्यम से, आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों की माताओं में संदेश प्रसारित करना
- पत्रक, पोस्टर और लघु स्किट के माध्यम से बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश प्रसारित करना । इस संदेश को प्रदर्शित करने वाले फ्लेक्स बोर्ड लगाना।
- बुजुर्ग व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस (1 अक्तूबर)
 और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस
 (15 जून) को उचित ढंग से मनाना।
- आंगनवाडी, विरष्ठ नागिरकों के क्लब और संघों, कुटुंबश्री कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, निवासियों के संघों और स्वैच्छिक समूहों के माध्यम से मूल्य-आधारित कक्षाएं आयोजित करना।

स्रोत: सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार

आइए हम सब मिलकर वृद्ध लोगों को कर्मठ और स्वस्थ उम्र का आनंद लेने में मदद करें।

डॉ. वानीश्री जोसेफ

सहायक प्रोफेसर पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण केंद्र एनआईआरडीपीआर



बढ़ई का काम करते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति

एफपीओ में संस्थागत निर्माण और संगठन विकास पर एफपीओ हितधारकों के लिए पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम – शासन एवं प्रबंधन में श्रेष्ठ पद्धतियां

संसाधन समर्थन एजेंसी के रूप में कृषि अध्ययन केंद्र को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रदेश द्वारा समर्थित उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सलाह और तकनीकी रूप से समर्थन देने की जिम्मेदारी दी गई है।

वेब-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अध्ययन के सूत्र को बनाए रखना था और एफपीओ को संस्थान निर्माण और संगठन विकास पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाना था। पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 से 19 जून, 2020 तक आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम का अपेक्षित परिणाम बीपीओ सदस्यों, कर्मचारियों और निर्माता संगठन प्रचार संस्थानों (पीओपीआई) को एफपीओ विकास में जोड़ना था, जो कि पद्धतिगत अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें एफपीओ के गठन और परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रहा था।

ऑनलाइन कार्यक्रम को प्रत्येक 20 मिनट के लिए प्रश्नों के विराम के साथ पूर्व और बाद के सत्र के चयन के साथ सबसे अधिक सीखने का अनुभव प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। हर दिन एक मॉड्यूल के अनुमान से इस कार्यक्रम में कुल पांच मॉड्यूल शामिल किए गए थे। प्रत्येक मॉड्यूल में सत्र की अवधि के आधार पर चार से पांच सत्र होते हैं। यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक ढाई घंटे के लिए निर्धारित किया गया था। प्रतिभागियों ने पहले

से तैयार किए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से पाठ्यक्रम में पंजीकरण किया है। मॉड्यूल से संबंधित पूर्व-पठन सामग्री प्रतिभागियों को पहले से परिचालित की गई थी।

मॉड्यूल में - संकल्पनात्मक समझ और एफपीओ की कार्यप्रणाली – सामजिक संगठन, संस्थान निर्माण और एफपीओ का संगठन विकास -एफपीओ का नियंत्रण एवं प्रबंधन - एफपीओ में मानक बही खाता आदि विषय कवर किए गए थे।

हर रोज चयन के अलावा, कार्यक्रम शुरू होने से पहले दिन एक साधारण बहुविकल्पीय कौशल परीक्षा आयोजित की गई थी और अध्ययन के स्तर को समझाने के लिए अंतिम दिन पर कार्यक्रम के अंत में उसी प्रश्नावली पर बात की गई थी।

प्रयुक्त स्रोत सामग्री एफपीओ की मॉडल किताबें थी जिनके लिए नाबार्ड ने वित्तीय सहायता प्रदान की और एनआईआरडीपीआर ने इनकी रचना की । इनमें प्रत्येक अध्याय पर पूर्व -पठन सामग्री, हाउसकीपिंग, बहीखाता, सांविधिक अनुपालन कैलेंडर, संस्था के बहिर्नियम (एम ओ ए) संस्था के अंतर्नियम (एम ओ ए) और एफपीओ का महत्वपूर्ण रेटिंग उपकरण आदि पर प्रस्तुतियां शामिल है।

गूगल मीट को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रयुक्त किया गया था क्योंकि इसे स्मार्ट फोन के माध्यम से सुदूर गांवों में भी पहुँचा जा सकता है।

जिन प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक सभी पांच दिनों



सत्र का संचालन करते हुए डॉ. सी.एच. राधिका रानी, पाठ्यक्रम निदेशक

में सहभाग लिया है, केवल उन्हें एफपीओ की मूल्य शृंखला और व्यवसाय विकास योजना पर आगे के उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमित दी जाएगी, जो जुलाई, 2020 के दौरान आयोजित किया जाएगा। स्रोत व्यक्तियों के रूप में डॉ. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, कृषि अध्ययन केंद्र, एनआईआरडीपीआर, डॉ. नित्या, सहायक प्रोफेसर, सीएएस, एनआईआरडीपीआर, डॉ. दिवाकर, परियोजना प्रमुख, सीएएस, एनआईआरडीपीआर, श्री. बाबू राव, अनुसंधान एसोसिएट, सीएएस, एनआईआरडीपीआर, इंग. कार्य किया।

गूगल फ़ीडबैक फ़ॉर्म को सभी प्रतिभागियों को उनकी प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए ऑनलाइन प्रसारित किया गया था।

प्रतिभागियों को यह प्रतीत हुआ है कि लॉकडाउन अविध के दौरान जानकारी अंतराल को कम करने के लिए पाठ्यक्रम बहुत सामियक, उपयोगी और सहायक था। वे कार्यान्वयन में अध्ययन के बिंदुओं का अति सतर्कतापूर्वक अनुपालन करने और प्रेषण हानि के बिना क्षेत्र में एफपीओ के बीओडी सदस्यों को प्राप्त जानकारी साझा करने के लिए सहमत हुए हैं।



प्रशिक्षण कार्यक्रम में चल रहे सत्र का छायांकन

डॉ. राधिका रानी पाठ्यक्रम संयोजक एवं अध्यक्ष, कृषि अध्ययन केंद्र

सुशासन पर ग्रामीण विकास व्यावसायियों और एसआईआरडीपीआर, सिक्किम के संकाय के लिए टीओटी कार्यक्रम

"Good Governance through Community Participation in Rural Development -Community Score Card (CSC) Approach and Methodology"

प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजिटल पोस्टर

15 मई, 2020 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के सुशासन एवं नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजीपीए) ने एसआईआरडी सिक्किम के संकाय और क्षेत्र सुविधाकर्त्ताओं के लिए ग्रामीण विकास समुदाय स्कोर कार्ड (सीएससी) दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सुशासन पर एक वेबिनार टीओटी कार्यक्रम का आयोजन किया था।

सुशासन निर्णय लेने और लागू करने की प्रक्रियाओं के बारे में है। यह सही निर्णय सृजन के बारे में नहीं है, बल्कि उन निर्णयों के सृजन के लिए सर्वोत्तम संभव प्रक्रिया के बारे में है। सुशासन विशेषताओं का एक संयोजन है, अर्थात् जवाबदेही, पारदर्शी, कानून के नियमों का अनुपालन, अनुक्रियाशीलता, न्यायसंगत और समावेशी, प्रभावी एवं कुशल तथा भागीदारी।

सामाजिक जवाबदेही उपकरण विकास व्यवसायियों को मांग सृजित कर ज्ञान और अंततः स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर शासन में सुधार को सक्षम बनाते हैं। सीखने के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण आवश्यक हैं, क्योंकि कई सार्वजनिक नीतियां विस्तार से लक्ष्य उन्मुख हैं, औसत दर्जे के परिणामों और लक्ष्यों के लिए प्रयोजनीय हैं और निर्णय-केंद्रित हैं।

सुशासन का महत्व विशेष रूप से सभी ग्रामीण गरीबों तक पहुंचने के लिए सभी सरकारी उचित पहल करने में जनता तक सफल सेवा सुपुर्दगी पर निर्भर करेगा। एक सरकारी कर्मचारी के रूप में शासन का सुधार हर रोज होने वाला कार्य है और यह एक सतत प्रक्रिया है। समुदाय अपनी ओर से ही सशक्तिकरण और जवाबदेही पर छोटे स्तर पर इस सामाजिक जवाबदेही के साधनों का उपयोग करके शासन में सुधार किया जा सकता है। यह उपकरण हितधारकों, ग्राहकों और उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक अंतर बना सकता है।

सामुदायिक स्कोर कार्ड दृष्टिकोण सेवा उपयोगकर्ताओं, प्रदाताओं और निर्णयकर्ताओं के बीच भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने का एक रोमांचक तरीका है। सामुदायिक स्कोर कार्ड का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता, दक्षता और जवाबदेही को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है जिसके साथ विभिन्न स्तरों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यान्वयन रणनीति एक सहभागी फोरम में संवाद का उपयोग कर रही है जो सेवा उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं दोनों को जोड़ती है।

वेबिनार की विवरण-पुस्तिका:

- यह विशेषज्ञ प्रतिभागियों को ज्ञान और उपकरण प्रदान करेगी जिसे एक संगठन को सार्वजनिक सेवाओं को वितरित करने में व्यावसायिकता को रिकॉर्ड करने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
- प्रतिभागी सार्वजनिक मुद्दों का आकलन करने के तकनीकी पहलुओं को जानेंगे, जिसमें सूक्ष्म स्तर पर सामुदायिक स्कोर कार्ड दृष्टिकोण को अपनाकर हितधारकों की भागीदारी शामिल है।
- उपकरण का अनुप्रयोग लक्ष्यों की प्राप्ति, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पूर्ति को प्रोत्साहित करता है और सार्वजनिक कार्यालय में सार्वजनिक निष्ठा और विश्वास को बढ़ावा देता है। ग्रामीण विकास समुदाय स्कोर कार्ड (सीएससी) हष्टिकोण और कार्यप्रणाली में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से 'सुशासन' पर वेबिनार टीओटी कार्यक्रम का उद्येश्य निम्नलिखित मुद्यों को पूरा करना है:
- शासन और सुशासन की संकल्पना से प्रतिभागियों को परिचित कराना
- मौजूदा नीतियों में शासन की किमयों और अंतराल की पहचान कराना
- प्रतिभागियों को सामुदायिक स्कोर कार्ड (सीएससी) दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली सीखने में सक्षम बनाना
- सूक्ष्म स्तर पर ग्रामीण विकास के मौजूदा प्रमुख कार्यक्रमों के विश्लेषण के लिए सीएससी उपकरण लागू करना
- बेहतर सेवा वितरण के लिए सामुदायिक स्कोर कार्ड (सीएससी) सामाजिक जवाबदेही उपकरण के लिए प्रतिभागियों को ज्ञान और कौशल के साथ सुसज्जित करना

वेबिनार मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन मॉड्यूल को शामिल करने के लिए केंद्रित है:

- सुशासन की अवधारणा, दृष्टिकोण और तत्व
- अवधारणा, दृष्टिकोण, तर्कसंगत और सामाजिक जवाबदेही के उपकरण
- सामाजिक जवाबदेही के उपकरण और सामुदायिक स्कोर कार्ड की तकनीकों का अनुप्रयोग

वेबिनार की शुरुआत डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीजीजीपीए, एनआईआरडीपीआर के स्वागत भाषण के साथ संपन्न हुआ । उन्होंने सीएससी तकनीक के माध्यम से सामुदायिक सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि यह गरीबों के लिए सेवा वितरण में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही ला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सीएससी तकनीक समुदाय को उनके अधिकार और हक के बारे में सशक्त बना सकती है। उद्घाटन भाषण के दौरान, श्री बिशाल मुखिया, निदेशक, एसआईआरडीपीआर, सिक्किम ने वेबिनार के लिए सीजीजीपीए, एनआईआरडीपीआर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये अध्ययन निश्चित रूप से सभी सरकारी कार्यक्रमों की बेहतर सेवा सुर्पुदगी में ग्राम पंचायत / ग्राम स्तर पर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एसआईआरडी संकाय को समृद्ध करेंगे।

बेहतर सेवा वितरण; सुशासन; सामाजिक जवाबदेही उपकरण, सीएससी उपकरण और छह प्रमुख चरणों का वर्णन करने वाले- सामुदायिक स्कोर कार्ड; प्रारंभिक मूल सिद्धांत; इनपुट ट्रैकिंग स्कोरकार्ड; समुदाय द्वारा प्रदर्शन स्कोर कार्ड; सेवा प्रदाताओं द्वारा स्व-मूल्यांकन स्कोर कार्ड; इंटरफ़ेस बैठक और कार्य योजना; संस्थानीकरण की गुंजाइश और आवश्यकता को शामिल करके इस कार्यक्रम ने ग्रामीण विकास में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सुशासन के लिए सामुदायिक स्कोर कार्ड (सीएससी) उपकरण के उपयोग को शामिल किया। इसके अलावा सामुदायिक स्कोर कार्ड (सीएससी) सामजिक जवाबदेहिता उपकरण दृष्टिकोण के लिए एनआईआरडीपीआर टीओटी के परिणाम के एक साक्ष्य के रूप में प्रतिभागियों के साथ ' बेहतर सेवा वितरण' का सबसे अच्छा उदाहरण भी साझा किया। अंत में, एक प्रश्न और उत्तर सत्र आयोजित किया गया। डॉ. के. प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर, सुशासन नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजीपीए), एनआईआरडीपीआर और डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीजीजीपीए, ने वेबिनार का आयोजन किया।

ग्राम अभिग्रहण की पद्धतियां



महाराष्ट्र में परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के साथ बातचीत में पदाधिकारी

भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों और प्रबंधन स्कूलों सिहत उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम उच्च शिक्षा संस्थाने (एचईआई) अधिकतर पढ़ाने (या प्रशिक्षण) की कार्य में; कभी-कभार अनुसंधान में; और शायद ही कभी सामुदायिक सहभागिता में सम्मिलित रहते है। शायद, यह हमारे साथ नहीं होता है कि विकास व्यवहार में एक शैक्षणिक संस्थान की सिक्रय भागीदारी शिक्षण को सुदृढ़ करती है; और शोधनीय मुद्दों को उपलब्ध कराकर शोध को आगे बढ़ाता है। ग्रामीण समुदाय के साथ नियमित विकास कार्य करने के लिए एचईआई ग्राम के लिए अभिग्रहण एक पद्धित हो सकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) का उन्नत भारत अभियान (यूबीए) कार्यक्रम यूबीए 2.0 में चला गया है । कार्यक्रम का उद्देश्य उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकास की चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ना है।

यूबीए के सहभागी संस्थानों को गाँव अभिग्रहण के लिए जगह देने हेतु आवश्यक रूप से एक तंत्र लगाना होगा। यह लेख गाँव की अवधारणा और दृष्टिकोणों और रणनीतियों की सीमा को स्पष्ट करता है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन में विशेषज्ञता वाले विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों को आवेदन के लिए उपयुक्त लग सकता है।

एचईआई को यह समझना चाहिए कि अवधारणाओं, सिद्धांतों, प्रौद्योगिकियों और मॉडलों का अनुप्रयोग सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि, कक्षा या प्रयोगशाला में सीखना। जिसे अन्यथा रोट सीख के रूप में देखा जा सकता है, यानी पुनरावृत्ति पर आधारित याद रखने की तकनीक । सक्रिय शिक्षण और साहचर्य शिक्षण शिक्षार्थी के महत्वपूर्ण संकाय को ऊर्जावान बनाने के लिए प्ररित करता है।

सामान्यता: शिक्षार्थी पर इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है - अक्सर जीवन भर के लिए । सीखने को भागीदारी होना चाहिए - एक 'सहानुभूतिपूर्ण भागीदारी'। भागीदारी के बिना सीखना प्लेसमेंट संभावनाओं और पे पैक में समाप्त होता है।

ग्राम अभिग्रहण की संकल्पना

गाँव अभिग्रहण की संकल्पना विकास अभ्यास को अपिरहार्य बनाती है, जो कि परावर्ती है, और सामाजिक रूप से उपयोगी है। इसमें मूढ़ता से कार्रवाई की ओर बढ़ना शामिल है। कार्रवाई के दौरान, स्वयं और दूसरे को लेने की महत्वपूर्ण निगरानी है- विकास के सिद्धांतों, विकास नैतिकता और प्रचलित विकास नीति के संदर्भ में। हम इसे एक्शन - रिस्पॉन्स - एक्शन कॉन्टिनम कह सकते हैं। यह रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की तरह है, जो बिना सोचे समझे प्रोटोकॉल या दिशानिर्देशों के विपरीत है।

इसका परिणाम स्थानीय परिस्थितियों में सुधार, स्थानीय अभ्यास को परिष्कृत करना और जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, उनके जीवन की स्थितियों में सुधार होगा । इस तरह की शिक्षा सीखने वालों के साथ-साथ शैक्षिक मार्गदर्शक के लिए अधिक रमणीय और संतुष्टिदायक है।

गाँव अभिग्रहण एक अकादिमक / शोधकर्ता या एक विकास पेशेवर द्वारा किया गया एक कार्य है जो पाठ्यक्रम के दौरान अभ्यास और अनजाने में हुई गलतियों से सीखने की इच्छा रखता है। प्रश्न में पेशेवर की ओर से शोध-मनन अभ्यास की मांग करता है, जिसे परावर्ती अभ्यास कहा जाता है। यह इस बात की अंतर्दृष्टि समीक्षा करता है कि 'क्या हो रहा है', यह पता लगाने और समझाने में सक्षम है।

जिस समुदाय के साथ हम काम कर रहे हैं, उसके लिए उपयोगी सामाजिक कार्य करना चाहिए। गाँव अभिग्रहण में मदद करनी चाहिए, यह जानने के लिए कि यह कक्षा में कहा जाता है या प्रयोगशाला में किया जाता है, व्यावहारिक रूप से सीखने के लिए संकाय को कम से कम ऐसी चीजें सीखने में मदद करनी चाहिए, जो आसान नहीं है।

गाँव अभिग्रहण का दोहरा उद्देश्य

गांव अभिग्रहण का उद्देश्य:

- (1) सामाजिक रूप से उपयोगी कार्रवाई करना; तथा
- (2) संकाय सदस्यों के साथ-साथ इस अभ्यास में शामिल छात्रों की व्यावसायिक दक्षता और विकास कौशल को सुगम बनाना।

उचित मान मापदंड

किसी भी गाँव के विकास के प्रयास में, गाँव के विकास के साथ-साथ शिक्षण भी समान रूप से चलना चाहिए । यदि गाँव का विकास हुआ है, लेकिन कोई नई सीख नहीं मिली है - जो कि अप्रभावी, अमहत्वपूर्ण और बिना सूचना सहित होना है। यदि उसने कुछ सीखा है, लेकिन शायद ही कोई विकास हुआ है - जो अनैतिक, अप्रत्याशित और द्वि-मुखी होना है। यह अकादमिक के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि वह स्वयं / खुद को गाँव अभिग्रहण कार्य में रत हो सके।

कौनसे काम करें?

एचईआई के रूप में हम सभी, इस पर प्रयास कर सकते है। उदाहरण के लिए, समस्याएँ जिन्हें हल किया जा सकता है:

- (क) डॉट्स कनेक्ट करना
- (ख) किसी समस्या को पूरी तरह हल करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना
- (ग) अंतिम मील की सुविधा प्रदान करके चीजों को फिनिश-लाइन तक ले जाना
- (घ) ऐसी गतिविधियाँ जो तकनीक या प्रबंधन मॉडल, आदि के उपयोग द्वारा हमारी विशेषज्ञता का उपयोग करती हैं।

भारत सरकार का लक्ष्य देश में मॉडल गांवों के लिए उपयोग, संतृप्ति दृष्टिकोण रखना है । विकास के हर पहलू में संतृप्ति का अर्थ है 100 प्रतिशत तक पहुंचना । उदाहरण के लिए, जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल आपूर्ति के लिए कार्यात्मक घर में नल कनेक्शन जोड़ना है। अगर आप 30 फीसदी घरों की पहचान करते हैं, तो एक गांव में पाइप से पानी की आपूर्ति नहीं हो सकती है। योजनाएं बनाएं और आधिकारिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ें कि आप उन्हें पाइप से जलापूर्ति करके 100 प्रतिशत तक पहुंचें। ग्रामीण जलापूर्ति योजना का उपयोग करें। पंचायत से बात करें, एक योजना बनाएं. और आरडब्ल्यूएस विभाग से जुड़ें।

इस तरह, आप यह सुनिश्चित करते हैं कि 100 प्रतिशत घरों में पाइप से जलापूर्ति हो; 100 प्रतिशत घरों में पाइप से जलापूर्ति हो; 100 प्रतिशत घरों में शौचालय हैं और उनका उपयोग किया जाता है; स्कूल जाने वाले 100 प्रतिशत बच्चे स्कूल में हैं; 4 वर्ष से कम आयु के 100 प्रतिशत बच्चों को आंगनवाड़ी में नामांकित किया गया है; सात टीकानरोधक रोगों के खिलाफ 100 प्रतिशत टीकाकरण; 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव आदि।

परिचालनीकृत ग्राम अभिग्रहण की पद्धतियां

- 1. परम्परागत पद्धति में ग्राम अभिग्रहण
- 2. प्राकृतिक पद्धति में ग्राम अभिग्रहण
- 3. प्रदर्शनी पद्धति में ग्राम अभिग्रहण
- 4. आदर्श ग्राम पद्धति में ग्राम अभिग्रहण
- 5. कार्य अनुसंधान पद्धति में ग्राम अभिग्रहण

आइए हम इस पद्धित में से प्रत्येक का विस्तार करने का प्रयास करें - इसमें से प्रत्येक का हमारे लिएक्या अर्थ है।

1. पारम्परिक पद्धति

अभिग्रहण में स्थापित और प्रमुख उपयोग एक पारंपिरक तरीका है। इसका मतलब है कि आप एक गाँव को गोद लेते हैं और उसके समग्र विकास, या समग्र विकास के लिए योजना बनाते हैं और कार्य करते हैं। यह व्यापक विकास पर लक्षित है जो आम तौर पर पारंपिरक पद्धित के तहत लक्षित है। आप लगभग सभी क्षेत्रों में काम करते हैं जितना संभव हो उतने सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं और मोबाइल संभव सामुदायिक योगदान / भागीदारी आदि। यह ग्रामीणों की विकास यात्रा से मेल खा रहा है, जहां कही भी यह यात्रा आपको ले जाती है। यह एक मूल योजना के साथ काम नहीं करता है। विकास की यात्रा में आगे बढ़ने के साथ ही योजनाएँ विकसित होती हैं।

यह विचार महात्मा के 'ग्राम स्वराज' के समान पुराना है । प्रत्येक गाँव एक पूर्ण गणतंत्र है, अपने पड़ोसियों के लिए अपने स्वयं के महत्वपूर्ण अपेक्षाओं के लिए स्वतंत्र है और फिर भी कई अन्य लोगों के लिए स्वतंत्र है जिसमें निर्भरता आवश्यक है। यह अपने स्वयं के खाद्य फसलों को उगाने और अपने स्वयं के भूजल बैंक आदि विकसित करने के सिद्धांतों से मेल खाता है । यह दृष्टिकोण ग्रामीण विकास में रत गांधीवादी संस्थानों और कुछ गैर-सरकारी संगठनों के लिए उपयुक्त है जो आम तौर पर समग्र विकास का लक्ष्य रखते हैं। इसमें शामिल कार्यों की व्यापकता या व्यापकता के कारण, आमतौर पर ग्राम अभिग्रहण कई शिक्षण संस्थान इस दृष्टिकोण का विकल्प नहीं चुनते हैं। सफल होने के लिए इस दृष्टिकोण पर अविभाजित ध्यान देने की आवश्यकता है, जो परिसर में शैक्षणिक प्राथमिकताओं के कारण एचईआई के लिए व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

2. प्राकृतिक (कैनोनिकल) पद्धति

यह एक क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप है। इसका अर्थ है एक विशिष्ट क्षेत्र में काम करना, उदाहरण के लिए, (i) पेयजल और स्वच्छता (ii) बीज उत्पादन तकनीक; (iii) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, (iv) पीने के पानी में गुणवत्ता की समस्याओं का समाधान; (v) ई-शासन प्रणाली आदि स्थापित करने में सहायता करना । प्राकृतिक मोड एक पेशेवर दक्षता और विशिष्ट क्षेत्र में काम करने की स्वतंत्रता देता है जिसमें आप / आपकी संस्था माहिर है। यह पेशेवर व्यक्ति को जितना संभाल सकता है, उससे भार नहीं देता है। केवल वही लेना जो आप में विशेषज्ञता रखते हैं, और आप जिस बारे में आश्वस्त महसूस करते हैं; या आपकी संस्था को किस क्षेत्र की विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है।

3. प्रदर्शन पद्धति

प्रदर्शन मोड में, आपके पास विकास का एक विशिष्ट सिद्ध मॉडल या एक प्रौद्योगिकी का प्रोटोटाइप है जिसे आप लागू करना चाहते हैं, और दुनिया को यह प्रदर्शित करते हैं कि यह आपके गाँव - आपके द्वारा अपनाए गए गाँव में काम करता है। मुद्दा यह है कि कहीं और इसी तरह के संदर्भों में भी काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक अभिनव समूह उधार मॉडल / जल-बचत प्रौद्योगिकी / ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से ग्रामीण विकास। आपको इस बात की पूरी समझ है कि आपका मॉडल / तकनीक कैसे काम करता है। आप इसे लागू करते हैं और प्रदर्शित करते हैं कि यह अभिग्रहण ग्राम में काम करता है। यह ग्राम विकास में योगदान देता है।

कई अन्य हैं जैसे वाटरशेड मॉडल; मोबाइल-आधारित विपणन सूचना प्रणाली; प्रौद्योगिकी-सक्षम पेयजल सेवा वितरण; प्लेसमेंट-सुनिश्चित कौशल प्रशिक्षण मॉडल; सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी राशि के भीतर निर्मित घरेलू शौचालय मॉडल; अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियां; अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियां, आदि । आप एक मॉडल विकसित / एक तकनीक डिजाइन करते हैं । अपने मॉडल को गांव में ले जाएं । यह प्रदर्शित करता है कि यह काम करता है । अपने अभिग्रहणग्राम को इससे लाभान्वित होने दें।

4. आदर्श ग्राम मोड

इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रक्रियाओं को गति देना है जो समग्रता की ओर ले जाता है चिन्हित ग्राम पंचायत का विकास (व्यक्तिगत, मानवीय, आर्थिक और सामाजिक) । आपको ग्रामीण विकास के हर आयाम की योजना बनाने की आवश्यकता है । यह केवल व्यक्तिगत विकास या सामाजिक विकास या सामाजिक-आर्थिक विकास के बारे में नहीं है। यह इन सभी का एक संयोजन है। इस प्रकार, यह मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, निजी और स्वैच्छिक पहल को परिवर्तित करने की मांग करता है। यह आमतौर पर एक खाका या योजना के साथ जाता है। आप जिस किसी भी गाँव में काम कर रहे हैं, यह आधिकारिक तौर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) से जुड़ा हो सकता है। ग्रामीणों के लिए, यह भुगतान करता है यदि वे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ साझेदारी बनाते हैं । यह अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल ऑफ प्रैक्टिस के रूप में पहचाने गए आदर्श ग्राम का पोषण करने का एक अवसर है।



एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के साथ बातचीत करते हुए अधिकारी (फाइल फोटो)

इस समग्र / व्यापक योजना में अन्य बातों में विविधतापूर्ण कृषि, सभी के लिए शिक्षा, सभी घरों के लिए पाइप से पानी की आपूर्ति, ओडीएफ गांव, स्वच्छ व्यवहार और व्यवहार - स्वच्छ गांव जैसे तत्व शामिल हैं; जोखिम व्यवहार को कम करना - कोई शराबखोरी, कोई मादक द्रव्यों का सेवन, हरित आवरण विकास, स्वास्थ्य और पोषण-माँ और बच्चे की देखभाल, सूक्ष्म और लघु व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और ई-गवर्नेंस, आदि।

5. कार्य अनुसंधान मोड

कार्य अनुसंधान दो चीजों के बारे में है: कार्य (आप क्या करते हैं) और अनुसंधान (आप कैसे सीखते है और क्या करते हैं, को समझाये) । कार्य अनुसंधान का 'कार्य पहलू' अभ्यास में सुधार के बारे में है। 'अनुसंधान पहलू' अभ्यास के बारे में ज्ञान पैदा करने के बारे में है। यह आपके स्वयं के अभ्यास के महत्वपूर्ण आत्म-प्रतिबिंब के बारे में है और अभ्यास में उत्तरोत्तर सुधार करना सीखाता है । आप एक परियोजना ले सकते हैं, जिसे हम कार्रवाई कहते हैं। क्या कार्य - परियोजना - आप आरंभ करते हैं ? इस पहल या अवधारणा के पीछे क्या विचार है? क्या इसका उद्देश्य पानी की कमी की समस्या / पानी की गुणवत्ता की समस्या का समाधान करना है / या आप ऐसे गाँव में सौर ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं जो किसी भी ग्रिड से जुड़ा नहीं है । आप कृषि पंपों या घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए सौर ऊर्जा कनेक्शन स्थापित करते हैं, और ऐसे सबूत / डेटा / मामले इकट्रा करते हैं जो ज्ञान के आपके दावे का समर्थन करते हैं कि आपका अभ्यास वांछित परिणाम दे रहा है।

यह इस बारे में भी है कि मैं अपने सीखने के प्रकाश

में अपने अभ्यास को कैसे संशोधित करूं? संभवतः, ऐसा नहीं है कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा आपने अपेक्षा की थी। आपको कुछ चीजों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है जो काम नहीं करती थीं; किन संदर्भों में यह काम करता है; यह कहाँ काम नहीं करता है; समझाएं कि यह कहां काम करता है, यह कहां काम नहीं करता है और ऐसा क्यों है; और आपको लगता है कि सुधार किया जाना चाहिए, अगली बार जब आप इसे करते हैं। यह अभ्यास में प्रगतिशील सीखने और शोधन का एक पेचदार है। आत्म-प्रतिबिंब का विचार कार्य अनुसंधान के लिए केन्द्र बिन्दु है। यह जांचने के लिए कि यह वैसा ही है जैसा आपको लगता है कि यह होना चाहिए, यह देखने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है।

आप वास्तव में स्थिति में सुधार कर सकते हैं। यदि हां, तो आपको कहानी बताने और अपने निष्कर्षों को साझा करने की आवश्यकता है: दूसरों को यह बताना कि आपने क्या किया है और आपने इसे कैसे किया है, और यह क्यों महत्वपूर्ण है।

आप ऐसे ज्ञान का दावा करते हैं जो आपने किया है या ऐसा कुछ सीखा है जिसने उत्पादक संगठन को पंजीकृत करने के लिए सुधार (विद्युतीकरण या कृषि या कुछ किसानों को सौंपने में) प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है । आपके विवरण स्थिति को वैसा ही दिखाते हैं, जैसा वह प्रतीत होता है । स्पष्टीकरण में कार्यों के कारण और उद्देश्य होते हैं, आपने जो किया वह क्यों किया और आपने क्या हासिल किया और आपने क्या किया है, इसके महत्व के बारे में आपकी जागरूकता की आशा की । यह उभरती हुई सीख है।

्र. जैसी चीजे उभरती है वैसा सीखे । गलतियाँ करें और गलतियों से सीखें कि इसे सही करें और इसे फिर से करें । इस तरह के सीखने में ज्ञान का दावा भी शामिल है, कि आपने कुछ ऐसा पाया है जो पहले नहीं जाना जाता था । लोग परिणाम से लाभान्वित होते हैं, और आप इस प्रक्रिया में ज्ञान सृजन / प्रौद्योगिकी डिजाइनिंग या मॉडल विकास के मामले में लाभान्वित होते हैं । यह कार्य अनुसंधान पद्धति है, जो किसी दिए गए संदर्भ के लिए विकसित कुछ परिस्थितियों या मॉडल के अनुसार अनुकूल तकनीक का परीक्षण करने के लिए बहुत उपयुक्त है ।

कैसे एक का चयन करें?

इन विधियों / दृष्टिकोणों में से किसी एक का चयन कैसे करें, यह उन कारकों पर निर्भर करता है जैसे (i) जिस समुदाय के साथ काम करने का आप निर्णय ले रहे हैं उसकी दबाव की आवश्यकता; और (ii) क्या आप के बारे में आश्वस्त महसूस करते हैं, अपने पेशेवर क्षमता के रूप में, और आदि । यह समग्र (आदर्श मॉडल की तरह) हो सकता है । यह क्षेत्र-विशिष्ट (आपकी पेशेवर क्षमता के आधार पर) हो सकता है। यह एक मॉडल का प्रदर्शन हो सकता है जिसे आपने कुछ प्रयोगशाला आधारित अनुसंधान या आपके द्वारा पढ़े गए एक प्रेरणादायक शोध पत्र / मामले के रूप में रिपोर्ट किए गए अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से संकेत लेने के लिए गढ़ा है । आप कार्य अनुसंधान के लिए सहकर्मी-पुनरीक्षित विचारों (परीक्षणों के रूप में) के बारे में भी सोच सकते हैं। यह पूरी तरह से संकाय सदस्यों, और एक संस्था की चीजों की योजना में ग्राम अभिग्रहण की जगह की सरलता में है।

> **डॉ. आर. रमेश** एसोसिएट प्रोफेसर, सी.आर.आई. एनआईआरडीपीआर

कृषि विपणन में कार्यो पर वेबिनार - एफपीओ के लिए निहितार्थ



(बाएं) श्रीमती अलका उपाध्याय, आईएएस, अपर सचिव, एमओआरडी और महानिदेशक (प्रभारी), एनआईआरडीपीआर और (दाएं) श्री रामसेशन, आईएएस (सेवानिवृत्त) वेबिनार में भाग ले रहे हैं

भारत क्रांतिकारी नीति सुधारों को देख रहा है जो निकट भविष्य में देश के संपूर्ण कृषि व्यवसाय परिदृश्य को फिर से परिभाषित करेगा । किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) तीसरी पीढी के किसान-आधारित संगठन हैं जो सक्रिय रूप से अपने संबंधित वस्तुओं और फसलों की मूल्य श्रृंखला विकास गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं । कृषि विपणन में भारत सरकार द्वारा नवीनतम नीतिगत कार्यों के साथ एफपीओ के हितधारकों को लैस करने के उद्देश्य से 12 जून, 2020 को भूमि संबंधी अध्ययन केन्द्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा एक वेबिनार की व्यवस्था की गई थी। श्री रामसेशन, आईएएस (सेवानिवृत्त) जो हाल ही में एमओए और एफडब्लू, भारत सरकार में मामलों पर कार्य किया है वे ई-नाम जैसे कृषि वस्तुओं के लिए ई-प्लेटफार्मी के संरचनात्मक विकास के पीछे व्यक्ति, मुख्य स्रोत व्यक्ति थे जिन्होंने दो घंटे के तकनीकी सत्र के लिए कार्यवाही का मार्गदर्शन किया था। देश में एफपीओ विकास मॉडल के निर्माण और निरंतर विकास के लिए 80 से अधिक प्रतिभागी थे।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए डॉ. सीएच. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, कृषि अध्ययन केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने वेबिनार के उद्देश्य को समझाया । उन्होंने बताया कि एफपीओ आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित सड़क ब्लॉकों के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ और कोविड -19 के तहत लॉकडाउन की अवधि में अपने शेयरधारक किसानों का विश्वास और अत्मविश्वास जीत सकता है । उन्होंने दोहराया कि देश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) समूहों ने भी कृषि वस्तुओं

की खरीद और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । एफपीओ और एनआरएलएम समूहों द्वारा अनुकरणीय समर्थन हस्तक्षेप के छिटपुट और पृथक मामलों को एक स्केलेबल और प्रतिकृति मूल्य शृंखला हस्तक्षेप मॉडल में संस्थागत किया जाना चाहिए। डॉ. राधिका रानी ने महसूस किया कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित नीतिगत सुधारों के काम आएगा, यदि एफपीओ और एनआरएलएम समूह नियमों का उल्लंघन करते हैं और एफपीओ के लिए वेब सेमिनार बहुत उपयोगी होगा यदि उनके संदेह साफ हो जाते हैं और वास्तविक इरादे नीति निर्माताओं को समझा जाता है।

मुख्य भाषण प्रस्तुत करते हुए श्रीमती अलका उपाध्याय, आईएएस, अपर सचिव, एमओआरडी और महानिदेशक (प्रभारी) एनआईआरडीपीआर ने इस राष्ट्र निर्माण में एनआईआरडीपीआर के साथ रहने के लिए श्री रामसेशन को धन्यवाद दिया और महसूस किया कि वर्तमान में देश भर में हो रहे प्रमुख कार्यक्रमों के कारण यह वेबिनार बेहतर समय पर नहीं हो सकता है: विपणन और पशुधन अधिनियम पर कृषि सुधार हो रहा है जो 2017 में लागू हुआ है । उसने महसूस किया कि सरकार ने इन सुधारों को अमल में लाने के अवसर के रूप में इस कोविड-19 स्थित को लिया है । उन्होंने बताया कि 15 से 18 राज्यों ने पहले ही एपीएलएम अधिनियम के तहत यथा प्रस्तावित सभी प्रमुख सुधारों को अपना कर लिया है ।

श्रीमती अलका उपाध्याय ने हमारी कृषि विकास रणनीति में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया। i)

कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए विशिष्ट अनुकूलित योजनाएँ और ii) छोटे भूमि से लगातार निधि की प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए पशुधन और मछली पालन के साथ कृषि के मिश्रण के साथ एकीकृत खेती श्रीमती अलका ने बताया कि आत्म निर्भय योजना के तहत बैंकों से ऋण समर्थन के साथ बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए रु. १ लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है जो देश में मजबूत कृषि व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगी । दुसरा महत्वपूर्ण विकास मॉडल जिस पर उन्होंने जोर दिया, वह डीएवाई-एनआरएलएम के बारे में है। महिला सामूहिक के रूप में एमकेएसपी और अच्छी तरह से सामाजिक बुनियादी ढांचे को भरपूर समर्थन देने के साथ, एग्री प्रोसेसिंग में इन समूहों से एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए । उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अनुकूल मैक्रो आर्थिक नीति है और पहले से ही किसान उत्पादक समूह कोविड-१९ जैसे परीक्षण समय के दौरान भी वितरित कर रहे हैं। उसने भविष्यवाणी के साथ निष्कर्ष निकाला कि अगले दो साल लाइन विभागों, महिला संग्रह और निर्माता संग्रह के मजबूत अभिसरण के साथ बडी संख्या में परिवर्तन लाने वाले हैं।

मुख्य तकनीकी सत्र का नेतृत्व भारत में वर्तमान बाजार संरचना जैसे महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्रों, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों, हाल ही में अध्यादेशों और एफपीओ के व्यापार और अवसरों पर संभावित प्रभाव से निपटने के लिए श्री रामसेशन द्वारा किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एपीएमसी अधिनियम में लाए गए स्पॉट और भविष्य के बाजार कैसे संचालित होते हैं और प्रमुख संशोधन होते हैं। उन्होंने गंभीर रूप से विश्लेषण किया कि एनसीडीईएक्स एफपीओ और एनईएमएल के गठन में मदद करने के लिए एनसीडीईएक्स के स्पॉट मार्केट आर्म का संचालन कैसे करता है।

श्री रामसेशन ई-मार्केट प्लेटफार्मों के अगले विषयगत क्षेत्र पर फोकस किया और विस्तृत रूप से बताया कि किस तरह उन्होंने किसान और उसकी उपज को बाजारों के लिए अप्रासंगिक बना दिया है । वास्तविक बाजार मंच प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के हितधारकों की संपूर्ण प्रणाली को एक साथ जोड़ता है । उन्होंने तीन अध्यादेशों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित किया गया था । वे है - किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020-06-20; मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता 2020-06-

20; चर्चा के लिए आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020-06-20। उन्होंने बताया कि कैसे इन तीन अध्यादेशों से कृषि विपणन में काफी बदलाव आ सकता है।

श्री रामसेशन ने एफपीटीसी अध्यादेश के महत्व को समझाया, ई-ट्रेडिंग मंच की सुविधा के माध्यम से बाधा मुक्त व्यापार के साथ किसानों को उपज को बेचने के लिए दिया गया विकल्प है। उन्होंने बताया कि विनियमित बाजार समितियों का क्षेत्राधिकार नए अध्यादेश के अनुसार अधिसूचित बाजारों और यार्डों तक ही सीमित है और यदि कोई व्यापारी उसके पास पैन है तो वह कहीं भी कृषि वस्तुओं में लेनदेन कर सकता है। यह भी विनियमन है कि उत्पादन के लिए भुगतान तीन दिनों के भीतर किया जाना है। उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम वस्तुओं की स्टॉकिंग में प्रतिबंध से मूल्य श्रंखला की सभी सीमाओं को अस्थिर करता है।


अंत में, डॉ रामसेशन ने एफपीओ को सलाह दी कि वे व्यापारिक संस्थाएं हैं और उन्हें अनुकूल नीति वातावरण के अवसर को अभिग्रहण करना चाहिए।

अंतिम सत्र प्रतिभागियों से सवाल और जवाब के लिए रखा गया जिसमें उन्होंने श्री रामसेशन से अपनी तकनीकी शंकाओं को स्पष्ट किया है।

सत्र का समापन डॉ. नित्या वी. जी. के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ जिन्होंने भारत में कृषि विपणन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास पर बहुत ही ज्ञानवर्धक और समय पर प्रवचन के लिए श्री रामसेशन की सराहना की।

प्रतिभागियों ने महसूस किया कि सभी सत्र बहुत ही उपयोगी, उद्देश्यपूर्ण रहे और किसानों को पारिश्रमिक कृषि विपणन प्रथाओं के साथ मार्गदर्शन करने में उनकी मदद की।

ग्रामीण भारत में कोविड़-१९ के प्रसार की रोकथाम के लिए जोखिम संचार पर एनआरएलएम के तहत काम करने वाले स्रोत व्यक्ति, राज्य नोडल टीमों के लिए टीओटी



टीओटी का डिजिटल पोस्टर

भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है कि हम कोविड़ -19 की बढ़ती महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और खतरों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। सरकार के सिक्रय कदम और लोगों के समर्थन के साथ, भारत तेजी से वायरस के प्रसार को रोकने में सफल रहा। लेकिन शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में पुन: वापसी के चलते वायरस धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है।

हाल ही में कोविड़-19 से अछूते रहे जिलों से मामलों की बढ़ती संख्या बताई जा रही है। कई राज्यों में, इसके परिणामस्वरूप अधिक जिले वायरस की चपेट में आ गए हैं।

स्थानीय रूप से वायरस के प्रसार को रोकने में

सबसे महत्वपूर्ण कारक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा जारी की जा रही सलाह के अनुसार सही जानकारी के साथ नागरिकों को सशक्त बनाना और सावधानी बरतना है।

इस संदर्भ में, संचार अनुसंधान इकाई- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने कोविड़- 1 9 रोकथाम संदेशों के साथ ग्रामीण समुदायों तक पहुंचने की रणनीति विकसित की।

लोगों के बीच कोविड़-19 निवारक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक नवीन एसबीसीसी सामग्री वाले समुदायों को शामिल करने के लिए एक विस्तृत रणनीति पर काम किया गया। साथ में, दो घंटे के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को विकसित किया गया था ताकि चिंता प्रबंधन पर वेबिनार के माध्यम से ब्लॉक, जिला, ग्रामीण स्तर के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके, कोविड़-19 के बारे में मुख्य तथ्य, सभी के द्वारा स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए प्रमुख व्यवहार कोविड़-19 से संबंधित रोकथाम कलंक, निवारक व्यवहार को बढ़ावा देने में प्रमुख हितधारकों की भूमिका, प्रशिक्षण को अगले स्तर तक ले जाना, सबसे कमजोर समुदायों तक पहुंचने के लिए कार्य योजना तैयार करना और चरणवार प्रशिक्षणों पर रिपोर्टिंग करना है।

एनआरएलएम 34 राज्यों के 678 जिलों में और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यरत है। 2.58 लाख गांवों के 7.05 करोड़ से अधिक परिवारों को स्व सहायता समूहों (एसएचजी) में जुटाया गया है। देश के हर कोने में इसकी मौजूदगी के साथ, एनआरएलएम इस महामारी से निपटने के लिए ग्रामीण समुदायों में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

एसएचजी नेता और सदस्य आसानी से कोविड़ -19 की जानकारी के साथ ग्रामीण समुदायों तक पहुंच सकते हैं और सदस्यों के बीच निवारक व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि वे सदस्यों के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और पालन करने के लिए जानकारी के विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। यदि एसएचजी सक्रिय रूप से विशिष्ट स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है, तो यह कोविड -19 के प्रसार को रोकने और लोगों में घबराहट को कम करने में प्रभाव डाल सकता है। ये समूह सामाजिक नेटवर्क और उनके भीतर संचार को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं – विशेषकर उपयोगी जानकारी के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने में।

इस संदर्भ में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध पर, डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र, सीआरयू-एनआईआरडीपीआर और एनआईआरडीपीआर के एनआरएलएम सेल ने राज्य नोडल टीमों, देश के 12 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ, राजस्थान, गुजरात, तिमलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हिरयाणा, पंजाब और केरल के जिला और ब्लॉक स्रोत व्यक्तियों के लिए इन प्रशिक्षणों का आयोजन किया। जून 2020 की पहली छमाही के दौरान नौ बैचों में कुल 2,950 मास्टर वक्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

श्री नागेन्द्रनाथ सिन्हा, आईएएस, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, श्रीमती अलका उपाध्याय, आईएएस, ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव, महानिदेशक (प्रभारी), एनआईआरडीपीआर और श्रीमती नीता केजरीवाल, आईएएस, ग्रामीण विकास के संयुक्त सचिव ने पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और प्रतिभागियों को अपनी समझ के साथ प्रेरित किया। सचिव, ग्रामीण विकास ने इस भूमिका पर निर्दिष्ट किया कि एसएचजी सदस्य वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और कोविड़-19 रोकथाम संदेशों के साथ जून के अंत तक सभी सीआरपी और एसएचजी सदस्यों तक पहँचने की आवश्यकता पर बल दिया । अपर सचिव, ग्रामीण विकास ने इन प्रशिक्षणों को लेने के सीआरयू- एनआईआरडीपीआर एनआरएलएम सेल को बधाई दी और इस भूमिका पर जोर दिया कि एसएचजी सदस्य गांवों में वापस लौटने वाले प्रवासी लोगों के साथ समन्वय कर सकते हैं और प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर कोविड़-19 निवारक व्यवहार का पालन करके प्रवासियों के माध्यम से वायरस फैलने को नियंत्रित करने के लिए उपाय कर सकती हैं।

श्रीमती नीता केजरीवाल ने एक मिशन स्तर पर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूर्ण होने पर समर्थन किया और टीम को जल्द से जल्द प्रशिक्षण के सभी बैचों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया।

डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीजीजी और पीए और निदेशक, संचार संसाधन इकाई ने सभी बैचों और प्रशिक्षकों की भूमिका के लिए तकनीकी सत्र को सुविधाजनक बनाया । सुश्री उषा रानी और सुश्री सीमा भास्करन, एनआरएलएम के प्रतिनिधि द्वारा क्षेत्र स्तर के प्रशिक्षणों की रिपोर्टिंग और निगरानी को मंत्रालय और एनआईआरडीपीआर स्तर पर सरलीकृत किया।

प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण सत्र और प्रशिक्षण सामग्री को बहुत उपयोगी बताया और ग्रामीण समुदायों में बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कोविड़-19 पर वांछित संदेश को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

ग्राम अभिग्रहण की पद्धतियां



चल रहा प्रशिक्षण सत्र (फाइल फोटो)

1. अपना होमवर्क पर्याप्त करें: बिना पर्याप्त तैयारी के कभी भी प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश न करें। जब आप इसे बोलते हैं तो यह प्रतिभागियों को लग सकता है जैसे कि चीजें बिना कठिनाई आसानी से चलते हैं। लेकिन केवल आप जानते हैं, कि यह सहजता से बहता है - इसलिए नहीं कि आप भाग्यशाली हैं, बल्कि आपके होमवर्क (निजी) के कारण। जब आप पानी पर चलते हुए देखते हैं, तो एक बतख पानी में आसानी से बहता है। कोई भी अपने दो पैरों के साथ पानी के नीचे की जाने वाली रोइंग कार्य पर कोई ध्यान नहीं देता है। 2. अभ्यास: महान कलाकार पाब्लो पिकासो की एक कहानी है। एक महिला एक बाज़ार में पिकासो के यहाँ दौड़ते हुए आयी। उसने कहा: ओह, पिकासो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपके उत्साही प्रशंसकों में से एक हूं। क्या आप कृपया मेरी थोड़ी सी ड्राइंग कर सकते हैं? मैं इसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए संरक्षित करूंगी - और एक पेंसिल और कागज का एक दुकड़ा सौंप दिया। लगभग 30 सेकंड में, पिकासो ने अपना चेहरा पेंसिल लाइनों के रूप में आकर्षित किया, और उस महिला को सौंप दिया। उसने कहा: वाह! गजब का। आधुर्यजनक। इस ड्राइंग को करने

में आपको सिर्फ 30 सेकंड का समय लगा - अविश्वसनीय! पिकासो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया: मेरी प्रिय महिला, मुझे 30 साल और 30 सेकंड लगे (मतलब, मैं इसे करने में सक्षम होने के लिए 30 साल से कर रहा हूं । तभी तो 30 सेकंड में कर सका) । अभ्यास - चाहे वह पेंटिंग हो, वॉयस मॉड्यूलेशन हो या हंसी के साथ कक्षा में विस्फोट करने के लिए एक मजाक पहुंचाना हो, सब कुछ केवल अभ्यास से आता है । उदाहरण के लिए, यदि आप चुटकुले को चुटकियों में जारी करने के लिए सही समय पर चूक गए, तो आपका मजाक किरकिरा हो जाएगा । अभ्यास करें।

- 3. वॉक द टॉक: यह आपके वीडियो को आपके ऑडियो के साथ समान रूप से बनाए में रखने के बारे में है । यह विशेष रूप से बहुत आवश्यक है जब आपके प्रशिक्षण का अपेक्षित परिणाम प्रतिभागियों का व्यवहार परिवर्तन है । उदाहरण के लिए, आप अपने प्रतिभागियों को स्वच्छ भारत मिशन के स्वयंसेवकों के रूप में तैयार कर रहे हैं । उन्हें आपके व्यवहार में प्रकट स्वच्छता को देखना चाहिए । यदि वे आपको चाय ब्रेक के दौरान कूड़ा करते हुए देखते हैं, तो वे सोचते हैं कि आप स्वेच्छा गीत गा रहे हैं क्योंकि आपको इसे करने के लिए भुगतान किया जाता है । इससे आपके प्रशिक्षण के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । अपना प्रशिक्षण शुरू करने से पहले उस स्वभाव को जागृत करें ।
- 4. विविधता: यह समझें कि मानव मन एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक कितनी तेजी से यात्रा कर सकता है - यह काफी अविश्वसनीय और अप्रत्याशित है । इसलिए, एक प्रशिक्षक के रूप में अपने सत्र में, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण विधियों, उपकरणों और तकनीकों (उचित रूप से हालांकि!) को रखें, जो कि मोनोटोन को तोड़ सकते हैं । जहां भी संभव हो प्रतिभागियों को शामिल करें । किसी भी विषय में पारंगत होने का एक निश्चित तरीका है प्रस्तुति स्लाइड शो तैयार करना और इसे बैच के बाद बैच और कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम तोते की तरह दोहराते हैं। शोध और नई ज्ञान सृजन की मात्रा आज लगभग दैनिक आधार पर होती है। आपको अपने गेम में विश्व स्तरीय खेलने के लिए अपडेट होने की आवश्यकता है। जब तक आपके प्रतिभागियों ने आपको उनसे एक कदम आगे नहीं पाया, तब तक वे अपने मोबाइल फोन से खेलते हैं, जबिक कक्षा चालू है । एक प्रशिक्षक के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक क्या हो सकता है ?
- 5. संस्कृति को समझें: यह आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक संस्कृति की निश्चित भाषा, सामाजिक मानदंड और मूल्य होते हैं । इसे समझने की आवश्यकता है तािक आप अपनी बात रख सकें, और अधिक जब आपको लगता है कि आपको प्रशिक्षण अभ्यास और खेलों में पुरुष और महिला प्रतिभागियों को मिलाना होगा। चुटकुले कभी-कभी गलत डिलीवरी के कारण

- न केवल उसका कोई मतलब होता हैं, बल्कि इसलिए कि यह सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक हो सकता है, या खराब हो सकता है ।
- 6. प्रशिक्षण खेल: सत्रों को सक्रिय और ऊर्जावान बनाने के लिए खेलों का उपयोग करें। नीरसता को पचाने वाला सत्र एक एनर्जाइज़र के बाद वापस सत्र पर आ सकते है। लेकिन, सामग्री की कीमत पर खेल और नाटकों के अत्यधिक उपयोग से सावधान रहें। प्रतिभागियों को अंत में (निश्चित रूप से निजी!) निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शायद यह आदमी विषय को नहीं जानता है, इसलिए वह अपने खेल के साथ बहुत उदार है और मनोरंजन करने के लिए खेलता है।
- 7. प्रशिक्षण के माध्यम से हर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है: प्रशिक्षण का प्रस्ताव कभी-कभी किसी भी चीज और हर चीज पर होता है। आपको यह देखना चाहिए कि क्या समस्या (जैसे कि किसी कर्मचारी का खराब प्रदर्शन) वास्तव में एक प्रशिक्षण अंतराल के साथ है। यदि यह ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या जोखिम की कमी के साथ करना है, तो प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन, यदि समस्या पूरी तरह से एक अलग प्रकृति की है, उदाहरण के लिए एक ग्राम पंचायत कार्यालय में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने के साथ एक प्राचीन कम्प्यूटर हो सकता है । इसलिए, यह पंचायत एक निर्दिष्ट वेब पोर्टल में या ई-मेल के माध्यम से एक्सेल प्रारूपों के माध्यम से कार्य की स्थिति की भौतिक और वित्तीय प्रगति को अद्यतन करने में असमर्थ है। इस समस्या को ठीक करने के लिए जिला कार्यालय वेब पोर्टल को उजागर करने और ई-मेल भेजने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, जब तथ्य यह है कि कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर का उपयोग करने के बारे में अच्छी तरह से अवगत है । यहां समस्या गैर-कार्यात्मक कंप्यूटर या इंटरनेट सुविधा की अनुपस्थिति में से एक है, न कि कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए आवश्यक कौशल।
- 8. अनुकूल होना: प्रतिभागियों के साथ दोस्ताना व्यवहार और मुस्कुराते रहना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन, प्रशिक्षकों के बीच एक प्रवृत्ति होती है, ताकि

प्रतिभागियों के दिल में प्रवेश करने के लिए बहुत अनुकूल हो और प्रतिभागियों को प्रशिक्षण अनुसूची को मोड़ने की अनुमित देने की हद तक उदार हो -इसे सहभागी बनाने के बहाने - एक पूर्ण विषयान्तर का कारण बने जो प्रशिक्षण के उद्देश्य को असफल कर सकता है । हमारे अनुकूल होने पर विषय की कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए।

- 9. सवालों के जवाब देना: ईमानदार रहें । देखें कि क्या उठाया गया सवाल प्रासंगिक है । पूछे गए हर सवाल का जवाब देने की कोशिश न करें प्रासंगिकता / अप्रासंगिकता के बावजूद । इतना है, एक दार्शिनक जवाब के साथ एक व्यावहारिक सवाल का जवाब नहीं है । यदि आपको उत्तर नहीं पता है, तो आप उसे सही स्रोत पर भेज सकते हैं । वैकल्पिक रूप से, आप उन्हें बता सकते हैं कि आप अगले दिन या ई-मेल के माध्यम से उनके पास वापस आ सकते हैं । सुनिश्चित करें, आप वास्तव में वापस आ गए । ऐसे सभी अवसरों के लिए, एक संरक्षक / शिक्षकों के लिए, कॉल करने और चर्चा करने के लिए अच्छा है ।
- 10. उस कठोर प्रतिभागी के साथ निपटना : प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में, ऐसा होता है कि आपको एक या दो प्रतिभागियों से निपटना मुश्किल हो जाता है । वे सभी टीज़र-प्रश्नों आदि के माध्यम से आपके ज्ञान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे प्रतिभागियों से निपटना प्रशिक्षण खेल का भाग है। धैर्य रखें। यदि आप एक ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप कितनी कुशलता से इस कठिन आदमी से निपटना या अन्य प्रशिक्षुओं के लिए खुद से एक सबक होगा । कभी भी चुनौती या विरोध न करें । आपको उसे अपने मेहमानों में से एक के रूप में भी व्यवहार करने की आवश्यकता है, जैसे आप अपने अन्य प्रतिभागियों के साथ व्यवहार करते हैं। याद रखें: आप एक प्रशिक्षक हैं । मानसिक बीमारी के इलाज के लिए आप एक मनोरोग चिकित्सक नहीं हैं। इसलिए, उस मुस्कान को बनाए रखें; वह पांच दिनों के प्रशिक्षण के बाद चली जाएगी।

डॉ. आर. रमेश एसोसिएट प्रोफेसर, सी.आर.आई. एनआईआरडीपीआर

पश्च – कोविड़ अवधि में जेंडर लेंस से ग्रामीण श्रम बाजार की पुनः कल्पना पर एनआईआरडीपीआर वेबिनार

कोविड़-19 महामारी और उसके बाद के लंबे समय तक लॉकडाउन ने दुनिया भर में कई नई विकासात्मक चुनौतियाँ पैदा की हैं। श्रम बाजार संकट एक ऐसी विकासात्मक चुनौती है जिसके लिए पूरी तरह से निम्न स्तर की समझ और भविष्य की योजना और मुकाबला करने की रणनीतियों की आवश्यकता होती है। शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और नागरिक समाज के बीच बढ़ती

सहमित है कि कोविड़-19 महामारी के मजबूत जेंडर प्रभाव हैं और इसलिए जेंडर-उत्तरदायी नीति की रूपरेखा समय की एक तत्काल आवश्यकता है । लाखों प्रवासियों के ग्रामीण क्षेत्रों में लौटने के साथ, ग्रामीण श्रम बाजार और अधिक चुनौतियों का सामना करेगा, खासकर महिलाओं के लिए। ऐसे प्रश्नों पर विचार करने के लिए: कोविड-19 के कारण ग्रामीण श्रम बाजार में उभरती चुनौतियां क्या हैं, एक विकासशील देश के नजिरए से उनके जेंडर के निहितार्थ क्या हैं और मौजूदा ग्रामीण विकास संस्थानों से उन चुनौतियों को कैसे हल किया जाए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने 16 जून, 2020 को एक वेबिनार आयोजित किया, जिसका शीर्षक है- पश्च – कोविड़ अविध में जेंडर लेंस से ग्रामीण श्रम बाजार की पुनः कल्पना । तीन प्रतिष्ठित वक्ताओं,

पश्च-कोविड़ अवधि में जेंडर लेंस से ग्रामीण श्रम बाजार की पुनः कल्पना पर वेबिनार



प्रो. के. मधुरा स्वामीनाथन



प्रो.सईमा हक़ बिदिशा



डॉ. दीपा सिन्हा

अर्थात्, प्रो. मधुरा स्वामीनाथन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बेंगलुरु, प्रो. सईमा हक़ बिदिशा, ढाका विश्वविद्यालय, बांग्लादेश और डॉ. दीपा सिन्हा, अंबेडकर दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने उक्त विषय पर अपने विचार साझा किए।

वक्ताओं ने कहा कि कोविड़ -19 और लंबे समय तक लॉकडाउन के प्रकोप ने ग्रामीण भारत में पहले से मौजूद आजीविका संकट को गहरा कर दिया है। लीन सीज़न के साथ लॉकडाउन एक साथ होने के कारण मौसमी कार्य के स्रोत समाप्त हो गए हैं और नियमित रूप से रोजगार के अवसरों तक पहुंच, जो पहले से कम थी, आंगनवाड़ियों और स्कूलों के बंद होने के साथ और भी खराब हो गई है। जैसे-जैसे महिलाओं की आय के स्वतंत्र स्रोत कम हुए हैं, पोषण, स्वास्थ्य, ग्रामीण परिवारों की शिक्षा की स्थिति भी अलग-अलग अंशों में दिखाई देगी, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में नए गरीबों का उदय होगा। ग्रामीण परिवारों में महिलाओं और वेबिनार का डिजिटल पोस्टर बालिकाओं के लिए विशेष रूप से घरेलू भोजन की खपत और आहार विविधता में गिरावट के प्रमाण पहले से ही मौजुद हैं।

वक्ताओं ने दोहराया कि इन संकटों के जेंडर संबंधी प्रभावों को दूर करने के लिए, हमें एक बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है, जो नकदी हस्तांतरण जैसे उपशमन निदान से आगे जाती है और मजबूत सामाजिक सुरक्षा-जाल का निर्माण करती है जैसे पिरप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), यूनिवर्सल लोक वितरण प्रणाली (पीडीएस), पेंशनभोगी, खुला और समन्वित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के कार्य और मध्याह्व भोजन (एमडीएम), संस्थानों और एजेंसियों को मनोवैज्ञानिक मुद्दों और घरेलू हिंसा से निपटना आदि । ग्रामीण विकास संस्थानों जैसे कि स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को मजबूत करने का समय है, आंगनवाड़ी स्वयंसेवकों, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

(आशा) श्रमिकों, दोपहर के भोजन के रसोइयों और पैरा शिक्षकों जैसे अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों के कार्यों को पहचानना और उनका उचित पुनर्मिलन करना, आदि।

कई दिशाओं से ग्रामीण विकास को फिर से संगठित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं की सार्वभौमिकता केंद्रीय हो सकती है और भविष्य में महिलाओं के रोजगार के लिए एक टेम्पलेट होना चाहिए। वेबिनार में शिक्षाविद, एसआईआरडी के संकाय, ईटीसी, छात्र, गैर-सरकारी संगठनों और सीएसआर संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

वेबिनार को संयुक्त रूप से डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, उद्यमिता विकास और वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडीएफआई) और डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य, जेंडर अध्ययन एवं विकास केन्द्र (सीजीएसडी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा समन्वित किया गया।



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473 ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण











श्रीमती अल्का उपाध्याय, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस. विक्टर पॉल जी. साई रवि किशोर राजा

एनआईआरडी एवं पीआर राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:

अनिता पांडे हिन्दी अनुवाद: ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हसैन